क्रम संख्या–196 (घ)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, सोमवार, 15 सितम्बर, 2008 ई0
भाद्रपद 24, 1930 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9

संख्या 232 / 27–9–08 / स्टाम्प–35 / 08
देहरादून, 15 सितम्बर, 2008

आदेश

प0 आ0–257

चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है ;

अतः, स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्य सरकार / निजी उद्यमियों द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों / क्षेत्रों में भू–खण्ड लीज पर लेने अथवा क्रय करने पर, पट्टा विलेख / विक्रय विलेख के निबन्धन में तथा यदि कोई उद्यमी निजी औद्योगिक आस्थान / मेगा प्रोजेक्ट / विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिए औद्योगिक आस्थान / क्षेत्र से बाहर सीधे स्वयं भूमि क्रय करता है, तो भूमि के क्रय विलेख–पत्र के निबन्धन में स्टाम्प शुल्क प्रभार से पूर्णतया छूट प्रदान की जाती है।

इस अधिसूचना में "दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों" का अभिप्राय औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 488 / VII–II–08 / 08, दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर 2 में परिभाषित है।

एल0एम0 पन्त,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 114 वित्त / 728–2008–100+200 (कम्प्यूटर / रीजियो)।